न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 253/**17 (वाद)**

1. श्री दुदा उर्फ दुदेराज पिता कालु गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री ओगड पिता कालु गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।

2. श्री खीमा उर्फ खेमा पिता कालु गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।

3. कजु पुत्री कालु पत्नी ठाकरी गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।

4. लहरी पुत्री गांगा पत्नी भेरा गुर्जर निवासी गेहूँ का कुआ तह. मावली।

5. लाली पुत्री गांगा पत्नी भंवर गुर्जर निवासी मोटीखेडी तह. मावली।

6. कुष्बा उर्फ पुष्पा पुत्री गांगा पत्नी लच्छीराम गुर्जर निवासी मोटीखेडी तह. मावली।

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

8. पटवारी, पटवार हल्का वारणी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता वादी।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

: : निर्णय : :

दिनांक : 10.01.2020

1. वाद वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वारणी पटवार हल्का वारणी की आराजी नम्बर 171, 281, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 410, 411, 421, 432, 497, 669, 670 कुल किता 19 रकबा 42 बीघा 12 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार लच्छा पिता गिरधारी के नाम पर 1/3 हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। ताईद में नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं।

2. यह कि मुझ वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

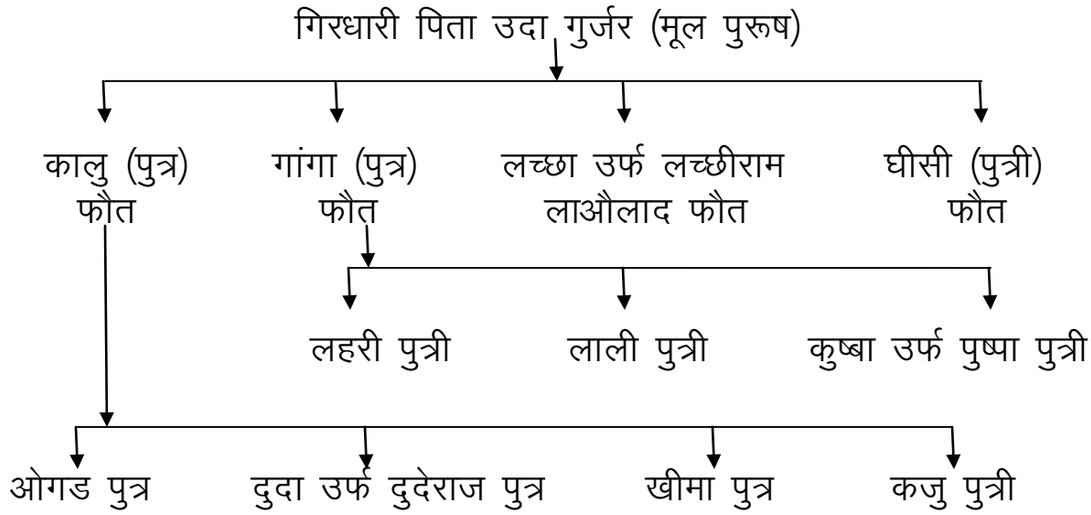

उपरोक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष गिरधारी पिता उदा गुर्जर थे जिनके तीन पुत्र कालु, गांगा, लच्छा उर्फ लच्छीराम हुए एवं एक पुत्री घीसी हुई। कालु का निधन हो चुका है जिनके वारिस ओगड, दुदा उर्फ दुदेराज, खीमा, कजु हैं। गांगा के वारिस लहरी, लाली, कुष्बा उर्फ पुष्पा हैं। लच्छा उर्फ लच्छीराम लाऔलाद फौत हो चुके हैं। घीसी का भी स्वर्गवास हो चुका हैं।

3. यह कि खातेदार लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर के कोई सन्तान नहीं थी जिस वजह से वह मुझ वादी के साथ ही निवास करते थे और मेरे द्वारा उनकी सेवा सृश्रुषा, देखभाल इत्यादि समय–समय पर की जाती रही जिससे प्रसन्न होकर खातेदार लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर ने अपनी समस्त चल अचल सम्पति जिसमें वाद में वर्णित कृषि भूमि भी सम्मिलित थी, का मुझ वादी के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 15.06.1999 को लिखा अपनी अगुंष्ठ निशानी कर गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर वसीयतनामा का पंजीकरण नोटेरी पब्लिक श्री प्यारचन्द सामोत के रजिस्टर में क्रम सं. 681 दिनांक 15.06.1999 को करा दिया। खातेदार लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर का स्वर्गवास दिनांक 08.12.1999 को हो गया है खातेदार लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर की मृत्यु हो जाने के बाद से मै वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हुं जिसमें प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि स्वर्गीय लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर द्वारा वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि मे जो उनकी खातेदारी की कृषि भूमि थी उसकी उन्होने अपने जीवनकाल में ही मुझ वादी के पक्ष में वसीयत लिख दी है जिससे मैं वादी

उपरोक्त कृषि भूमि का एकमात्र मालिक व स्वामी हुं तथा उसपर काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त कर रहा हु जिसमें प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी वाद में वर्णित कृषि भूमि में खातेदार लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को मुझ वादी के नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने का अधिकारी हुं।

5. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात में खातेदार लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा कृषि भूमि पर मुझ वादी का शांतिपूर्वक निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा मैं वादी दिनांक 07.11.2017 को उक्त जमीन वसीयत अनुसार मुझ वादी के नाम पर अंकित कराने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने उक्त भूमि वसीयत अनुसार मेरे नाम पर अंकित करने से मना कर दिया और कहा कि कोर्ट से आदेश लाओंगे तभी वसीयत के अनुसार जमीन तुम्हारे नाम पर अंकित होगी। इसलिए उक्त भूमि को वसीयत के अनुसार मुझ वादी के नाम पर खातेदारी हक की घोषित कराने हेतु उक्त वाद पत्र आप न्यायालय में पेश हैं।
6. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया मामला है, क्योंकि मुझ वादी द्वारा ही लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर की सेवा चाकरी की गई है और मेरी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर ने अपने जीवनकाल में उनकी समस्त चल अचल सम्पति मेरे नाम पर वसीयत की और वसीयत अनुसार स्व. लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर की समस्त चल अचल सम्पति का वसीयत के अनुसार उपयोग उपभोग कर रहा हुं और काबिज हुं। इसलिए सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी मुझ वादी के पक्ष में हैं। उक्त भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार कब्जा कुछ भी नहीं रहा हैं।
7. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादी के विरूद्व वाद कारण दिनांक 07.11.2017 को उत्पन्न हुआ जब पटवारी हल्का को भूमि वसीयत अनुसार मेरे नाम पर दर्ज करने हेतु कहा तो पटवारी हल्का ने भूमि वसीयत अनुसार नाम पर दर्ज करने से मना कर कोर्ट में दावा करने हेतु कहा तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात में खातेदार लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में मुझ वादी का नाम अंकन कराया जावें एवं खातेदार लच्छा उर्फ लच्छीराम पिता गिरधारी गुजर का नाम हटाया जावें।
9. वादी द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, वसीयत पत्र दिनांक 15.06.99 प्रदर्श 2, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, प्रमाणित सजरा प्रदर्श 4 पेश की गई है।
10. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।
11. प्रकरण में साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री दूदा, पी.डब्ल्यू–2 श्री ठाकरी, पीडब्ल्यू–3 श्री खेमा का शपथ प्रस्तुत किया।
12. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा यह वाद घोषणा के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी द्वारा तर्क दिया कि खातेदार लच्छा के कोई सन्तान नहीं होने से लच्छा की देखभाल वादी द्वारा की गई। लच्छा द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 15.06.1999 को वसीयत नामा लिखकर वसीयत कर दी। लच्छा उर्फ लच्छीराम का दिनांक 08.12.1999 को स्वर्गवास हो चुका हैं। इसलिए वसीयत के आधार पर लच्छा के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम कराने का निवेदन किया हैं। हमारे द्वारा वादपत्र के अवलोकन से वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत पी.2ए दिनांक 15.06.1999 को लिखी जाकर नोटेरी कर रखी है जिस पर लच्छीराम के अगुंष्ठ निशानी कर गवाहों की भी साक्ष्य के रूप में अगुष्ठ निशानी की हुई हैं। लच्छीराम की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी3ए पेश कर रखा है। ग्राम पंचायत वारणी का प्रमाणित सजरा प्रदर्श पी4 पेश कर रखा हैं। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली में वादी द्वारा ऐसा कोई भी

दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें लच्छा उर्फ लच्छीराम को उक्त भूमि किस माध्यम से प्राप्त हुई हैं, इसका तथ्य स्पष्ट हो सके। वादग्रस्त भूमि लच्छा की स्वअर्जित सम्पति हैं अथवा लच्छा को विरासत से प्राप्त हुई है इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, जिससे यह साबित हो सके कि लच्छा के नाम दर्ज भूमि लच्छा की स्वअर्जित सम्पति होकर लच्छा को उक्त भूमि को वसीयत करने का पूरा अधिकार था। प्रथम दृष्टया वादी यह भी साबित नहीं कर पाया कि उक्त भूमि लच्छा की स्वअर्जित सम्पति होकर लच्छा उक्त सम्पति की वसीयत वादी के पक्ष में लिख सकता है ? जब वसीयत करने के प्रश्न पर ही वादी मौन रहा है तो वादी को उक्त वसीयत के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का कोई ठोस कारण इस न्यायालय को प्रतीत नहीं होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में वादी उक्त वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। वादी का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दुदा उर्फ दुदेराज पिता कालु गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री ओगड पिता कालु गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।
2. श्री खीमा उर्फ खेमा पिता कालु गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।
3. कजु पुत्री कालु पत्नी ठाकरी गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
4. लहरी पुत्री गांगा पत्नी भेरा गुर्जर निवासी गेहूँ का कुआ तह. मावली।
5. लाली पुत्री गांगा पत्नी भंवर गुर्जर निवासी मोटीखेडी तह. मावली।
6. कुष्बा उर्फ पुष्पा पुत्री गांगा पत्नी लच्छीराम गुर्जर निवासी मोटीखेडी तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का वारणी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 253/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.12 18:29:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: